पम्प/वाल्व ऑपरेटर का मानदेय

पम्प / वाल्व ऑपरेटर का मानदेय, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति तथा ग्राम पंचायत/ग्राम सभा द्वारा, गाँव में कुल नल कनेक्शनों की संख्या, एकत्र होने वाली जलकर की राशि और सौंपे गए अन्य कार्यों के आधार पर तय किया जाता है।

कुशल मानव संसाधन का विकास

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, अन्य तकनीकी विभाग एवं गैर सरकारी संगठनों द्वारा पम्प / वाल्व ऑपरेटर, राजमिस्त्री, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री एवं फिटर आदि की क्षमतावृद्धि के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित किये जाते हैं। ग्राम पंचायत और ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति इसके लिए गांव से योग्य व्यक्ति का चयन कर उन्हें प्रशिक्षण दिलवा सकती हैं।

टूल्स जो पम्प / वाल्व ऑपरेटर के पास उपलब्ध रहना चाहिए

क्र.	टूल	उपयोग	प्रतिकृति
1.	हैक्सों	लोहे के पाइप और रॉड आदि काटने के लिए	
2.	ब्रश	सतह साफ करने के लिए	
3.	प्लास्टिक पाइप कटर	पाइप काटने के लिए	
4.	थ्रेड सीलिंग टेप	पाइप की थ्रेड सील करने हेतु	
5.	प्लायर	नटों को कसने एवं खोलने के लिए	
6.	पाइप रेन्च	पाइपों को कसने और खोलने के लिए	
7.	ऑटो एडजेस्टेबल रेन्च	नटों को कसने और खोलने के लिए	
8.	फॉसिट की	नटों को कसने एवं खोलने के लिए	
9.	पेचकस सैट	विभिन्न साइज के पेचों को खोलने व कसने के लिए	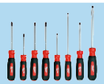
10.	वायर स्ट्रीपर	इलेक्ट्रिक तार काटने के लिए	
11.	इलेक्ट्रिक इंसुलेशन टेप	बिजली के कटे तारों, ज्वाइंट पर लपेटने के लिए	
12.	स्पेनर सेट	विभिन्न साइज के नटों को कसने एवं खोलने के लिए	
13.	इलेक्ट्रिक टेस्टर	विद्युत सप्लाई चैक करने हेतु	
14.	मल्टीमीटर	विद्युत पैरामीटर मापने के लिए	
15.	बाल प्वाइंट हेमर	नट, बोल्ट आदि को ठोंकने के लिए	
16.	पाइप फिक्सिंग साल्युशन	पाइपों को जोड़ने के लिए	

समर्थन के बारे में

समर्थन- सेन्टरफॉर डेवलपमेंटसपोर्ट एक अलाभकारी स्वैच्छिक संस्था है, जो वर्ष 1995 से भारत देश के मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में सहभागी अभिशासन एवं विकास को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। संस्था का प्रयास स्थानीय निकायों, सामुदायिक संगठनों अन्य स्वंयसेवी संस्थाओं, स्थानीय लोगों की क्षमतावृद्धि कर उन्हें मजबूत बनाना है, ताकि नागरिकों और राज्य के बीच एक सहयोगी सेतु का निर्माण हो जिससे समाज के उपेक्षित, वंचित वर्ग की आवाज बुलन्द हो सके और वे भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। समर्थन पेयजल स्वच्छता पर्यावरण स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके साथ ही बेहतर क्रियान्वयन के माध्यम से नीतिगत बदलाव हेतु साक्ष्य आधारित संवाद करना भी संस्था का प्रमुख कार्य है।

german cooperation
DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT

WELT HUNGER HILFE
WHH

समर्थन

This awareness material is published under the project on WASH-Systems-Strengthening in fragile and developing contexts to achieve SDG-6.
Project Number : IND 1382-20

"हम सबका एक ही सपना, जल को बचाना लक्ष्य अपना"

"हर नल में टोंटी, बात नहीं है छोटी"

नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव में पम्प/वाल्व ऑपरेटर की भूमिका

हर घर जल
जल जीवन मिशन

अपना पानी, अपना प्रबंधन

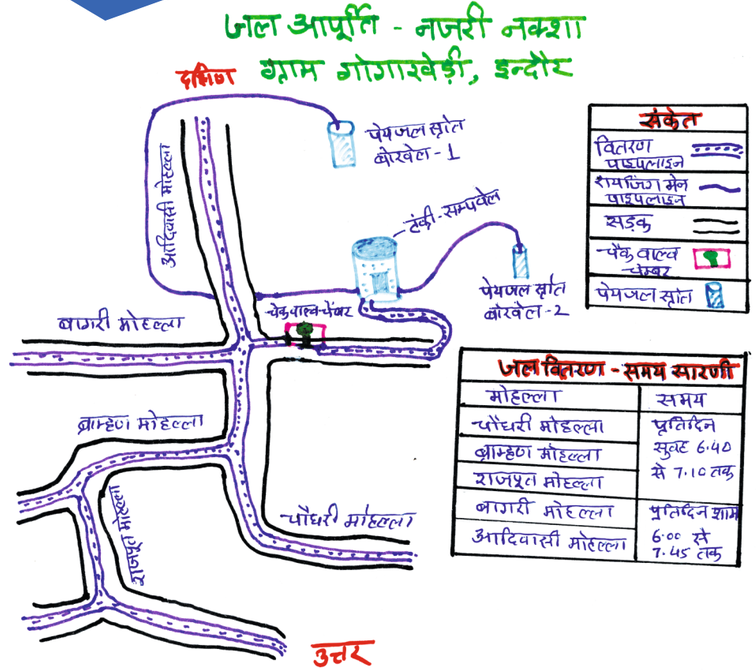

"जल संरक्षण का लो संकल्प, नहीं है इसका कोई विकल्प"

नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव की व्यवस्था

जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव-गांव स्थापित की जा रही नल जल योजनाओं से स्थानीय लोगों को बिना किसी बाधा के जल आपूर्ति होती रहे, इसके लिए इनका नियमित संचालन एवं रखरखाव बेहद जरूरी है। जल जीवन मिशन के दिशा निर्देशों के अनुसार निम्न व्यवस्था बनाई गई है-

- नल जल योजना का संचालन एवं रखरखाव स्थानीय स्तर पर ग्रामवासियों के सहयोग से किया जाना है।
- नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए प्रत्येक ग्राम में पम्प / वाल्व ऑपरेटर नियुक्त करने की व्यवस्था की गई है।
- पम्प / वाल्व ऑपरेटर को मानदेय का भुगतान जल कर से मिलने वाली राशि से किया जाएगा।
- नल जल योजना निर्माण हेतु एकत्र की जाने वाली सामुदायिक अंशदान की राशि, ग्राम पंचायत / जल समिति के बैंक खाते में जमा करायी जायेगी, जिसका उपयोग नल जल योजना के संचालन एवं रखरखाव के लिए किया जाएगा।
- नल जल योजना के संचालन और रखरखाव के साथ-साथ सभी घरों में नियमित जल आपूर्ति की जिम्मेदारी पम्प/वाल्व ऑपरेटर की होगी। अतः योजना की सफलता में पम्प / वाल्व ऑपरेटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

पम्प/वाल्व ऑपरेटर हेतु योग्यता

- उसी गांव का निवासी हो और पम्प ऑपरेटर के काम में उसकी रूचि हो।
- साल भर हर मौसम में अपनी सेवाएं दे पाने में सक्षम हो।
- स्थानीय भाषा को समझने, बोलने और पढ़ने-लिखने का ज्ञान हो।
- महिलाओं को भी पम्प/वाल्व ऑपरेटर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है।

पम्प/वाल्व ऑपरेटर का चयन

- पम्प / वाल्व ऑपरेटर का चयन ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति और ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा/ ग्रामवासियों की सहमति से किया जाना है।
- बड़े गांवों में पम्प ऑपरेटर के सहयोग हेतु वाल्व ऑपरेटर भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

पम्प/वाल्व ऑपरेटर के मुख्य कार्य

- जल वितरण प्रणाली का नजरी नक्शा तैयार कर ग्राम पंचायत भवन और पानी की टंकी के पास प्रदर्शित करना।
- एक रजिस्टर में नल जल योजना से जुड़ी परिसम्पत्तियों का रिकार्ड रखना।
- मोहल्ला वार जल वितरण की योजना बनाकर तय समय में प्रतिदिन जल आपूर्ति करना।
- जल आपूर्ति व्यवस्था में चिन्हित सुधार या मरम्मत के कार्यों को पूरा करना, यदि समस्या बड़ी हो तो ग्राम पंचायत को इसकी सूचना देना।
- सामान्य टूट-फूट से जुड़े स्पेयर पार्ट्स पहले से खरीद कर स्टॉक में रखना।
- समय-समय पर पानी की टंकी, सम्पवेल की सफाई कराना और वाल्व चेम्बर, पाइप लाइन आदि के आसपास भी सफाई रखना।
- एक रजिस्टर में पूर्ण विवरण सहित मरम्मत से जुड़े कार्यों का रिकार्ड रखना।
- ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षणों में भाग लेना।
- विभागीय कर्मचारियों अधिकारियों के मोबाइल नंबर अपने पास रखना /ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनसे सम्पर्क किया जा सके।
- स्कूल, आंगनवाडी सामुदायिक भवन सहित सभी शासकीय भवनों में नियमित जल आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- घर-घर सम्पर्क कर सभी ग्रामवासियों को नलों में टोंटी लगाने और पानी का दुरूपयोग रोकने के लिए प्रेरित करना।
- नल जल योजना की मरम्मत हेतु जरूरी औजार पेटी को हमेशा तैयार रखना।
- ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और जल समिति की बैठक में भाग लेकर जल आपूर्ति की स्थिति से अवगत कराना।

पम्प/वाल्व ऑपरेटर के लिए रखरखाव एवं देखभाल संबंधी गतिविधियाँ

क्र.	गतिविधियाँ	गतिविधि की अवधि		
		दैनिक	साप्ताहिक	त्रैमासिक
1.	बिजली आपूर्ति उपकरणों का रखरखाव		✓	
2.	जल शुद्धिकरण संयंत्र के पाइप कनेक्शन का निरीक्षण	✓		
3.	जल वितरण प्रणाली का निरीक्षण		✓	
4.	हर घर नल एवं टोंटी का निरिक्षण		✓	
5.	शुद्धिकरण संयंत्र / सम्प हाउस की साफ-सफाई	✓		
6.	योजना परिसर की सफाई		✓	
7.	ओवर हेड टैंक (OHT) की अंदर से सफाई			✓
8.	लॉग बुक में संयंत्र के परिचालन की अवधि आदि को दर्ज करना	✓		

नल जल योजना से जुड़ी आम समस्यायें एवं समाधान

क्र.	समस्या	संभावित समाधान
1.	जल स्रोत में जरूरत के अनुसार पानी की उपलब्धता नहीं	• विभागीय योजनाओं के अभिसरण से जल स्रोत के स्थायित्व पर काम करें। • वैकल्पिक जल स्रोत को नल जल योजना से जोड़ें। • पानी की बर्बादी रोकने के लिए ग्राम वासियों को प्रेरित करें। • अवैध नल कनेक्शन पर जुर्माना लगायें।
2.	बिजली की अनियमित उपलब्धता	• वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जैसे सोलर पेनल स्थापित करें।
3.	पाइपलाइन में लीकेज होना	• लीकेज की मरम्मत करें, खराब पाइप को तत्काल बदल दें।
4.	कम दबाव से पानी की सप्लाई	• मोहल्ला वार अलग-अलग समय में पानी सप्लाई करें, यदि जरुरी हो तो ऊंचाई वाले घरों में अतिरिक्त पम्प का उपयोग कर जल वितरण सुनिश्चित करें।
5.	अवैध नल कनेक्शन/ नल कनेक्शन में मोटर लगाकर पानी लेना	• मोहल्ला वार सघन निगरानी करें, जल समिति के माध्यम से उचित नियम बनाकर दोषियों से जुर्माना वसूलने की कार्यवाही करें।
6.	पाइपलाइन पुरानी होना	• खराब क्षतिग्रत पाइपलाइन को बदलें।
7.	जलकर जमा ना होना	• बैठक, व्यक्तिगत सम्पर्क कर लोगों को जागरूक करें। • समय-समय पर नल जल योजना के आय-व्यय "का ब्यौरा समुदाय के साथ साझा करें। • गांव के प्रभावशाली व्यक्तियों का सहयोग लें।
8.	पम्प/मशीनरी के सुधार में देरी होना	• कुशल मेकेनिक से वार्षिक लिखित अनुबंध करें एवं मरम्मत का भुगतान समय पर करें।
9.	जल आपूर्ति हेतु नियमावली का अभाव	• जल आपूर्ति के लिए नियमावली बनाएं और ग्रामसभा से अनुमोदन कराकर उसे लागू करें। • नियमावली सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करें।
10.	पेयजल में अशुद्धि की समस्या	• FTK का उपयोग कर प्रशिक्षित महिला दल से जल स्रोत एवं मोहल्ला वार पानी की जाँच कराएं एवं अशुद्धता मिलने पर ग्राम पंचायत के माध्यम से पीएचई विभाग को सूचित करें।